

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (428)आकाशि/नि.सं./2011/509

दिनांक:- 22/12/2015

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों में अभिवृद्धि/नवीन विषयों में सत्र 2015-16, एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
सचिव, हाइट मून गर्ल्स शिक्षा समिति, गोविन्दगढ़ जिला जयपुर	श्री कृष्ण महाविद्यालय गोविन्दगढ़ तह0 श्रीमू जिला जयपुर	राजरथान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संघालित स्नातक स्तर- विज्ञान स्नातकोत्तर - भूगोल नवीन विषय स्नातकोत्तर स्तर कला संकाय- इतिहास, अर्थशास्त्र माणिज्म संकाय स्नातकोत्तर स्तर - एबी.एस.टी

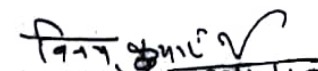
1. संस्था सत्र 2016-17 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुक्तालय में जमा करावेगी।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक करवायेगी।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।


आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (नि0स0) 12/15